BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 16 जनवरी, 2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर मारपीट करने के 04 आरोपियों को 03-03 वर्ष का कारावास व 05-05 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. रामवीर 2. रामकिशन पुत्रगण बन्नी सिंह व 3. रोबिन 4. योगेन्द्र पुत्रगण रामवीर निवासीगण ग्राम शेखूपुरा थाना खानपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2015 में अपने गांव निवासी एक व्यक्ति के साथ गाली गलौच व मारपीट कर बांये हाथ के अंगूठे को तोड़ने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 20.07.2015 को थाना खानपुर पर मुअसं – 99/15 धारा 323/325 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 23.08.2015 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 06 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 16.01.2025 को न्यायाधीश श्री अंकुर चौधरी (मा0 न्यायालय सी.जे.(एस.डी.) एफटीसी/एसीजेएम जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त रामवीर, रामकिशन, रोबिन व योगेन्द्र को 03-03 वर्ष का कारावास व 05-05 रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री शिवम मिश्रा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सैल बुलन्दशहर।